प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 22.12.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.12.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के विषय में किया गया जागरूक-

शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सशक्त बनाने और सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा उनके अधिकारों के सम्बंध में उनको जागरूक करने व उनके साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा उनमें सुरक्षा/आत्मविश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से समग्र अभियान ''मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान'' चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 22.12.2024 को नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की शक्ति दीदी/महिला बीट आरक्षियों/एण्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कालेज/बीट/गांव आदि में जाकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरुकता कार्यशाला एवं चौपाल लगाकर बालिकाओं एवं महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई की गयी तथा "मिशन शक्ति फेज-05" के सम्बन्ध में सभी बालिकाओं/महिलाओं को जागरूक किया गया, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें मनचलों, अराजक तत्वों से निपटने तथा आत्मरक्षा करने के लिए आवश्यक आत्मरक्षात्मक गुण सिखाये गये इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस एव शासन द्वारा बालिकाओं/महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे- 1090-वुमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण से संबंधित उ0प्र0 शासन की विभिन्न योजनाओं व प्राथमिकताओ के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया।

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र/कारतूस के साथ एक नफऱ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र के निष्कर्षण पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह मय हमराह हे0कां0 प्रियंक कुमार व कां0 अंकित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त रमाशंकर पुत्र रामदास कहार उम्र 27 वर्ष निवासी मो0 तरौस ग्योडी थाना खन्ना जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम ग्योडी थाना खन्ना के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रमाशंकर पुत्र रामदास कहार उम्र 27 वर्ष निवासी मो0 तरौस ग्योडी थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1 उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह
2 हे0कां0 प्रियंक कुमार
3. कां0 अंकित कुमार

महोबा पुलिस

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने दुष्कर्म के आरोपी 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 22.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित गठित की गई उ0नि0 विकास तिवारी मय हमराह कां0 ओमप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 375/2024 धारा 74/351(2) BNS से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त वीरेन्द्र कुशवाहा पुत्र टुटिया उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मौहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को बस स्टैण्ड कस्बा कुलपहाड़ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अवगत कराना है कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 183 BNSS के आधार पर धारा 64/333 BNS की बढोत्तरी की गयी एंव धारा 74 BNS का लोप किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

वीरेन्द्र कुशवाहा पुत्र टुटिया उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मौहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विकास तिवारी
2. कां0 ओमप्रकाश शर्मा

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 को सुचितापूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0) परीक्षा-2024 को सुचितापूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न परीक्षा केन्द्रो में भ्रमणशील रहते हुए परीक्षा केन्द्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा ड्यूटीरत पुलिस बल व अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड सहित अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

महोबा पुलिस

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्र के निष्कर्षण पर प्रभावी रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक-22.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 मिथिलेश मिश्रा, चौकी प्रभारी पसवारा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान घटनास्थल ग्राम पसवारा के पास से एक नफर अभियुक्त हरीसिंह पुत्र चन्दन सिंह खंगार उम्र 24 वर्ष नि0 ग्राम बीजानगर थाना कोत0 नगर जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0- 674/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 मिथलेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी पसवारा थाना कोतवाली महोबा
2. उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
3. का0 महिताब सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त व नाजायज बरामदगी-

1. हरीसिंह पुत्र चन्दन सिंह खंगार उम्र 24 वर्ष नि0 ग्राम बीजानगर थाना कोत0 नगर जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा **315** बोर व **01** अदद जिन्दा कारतूस **315** बोर नाजायज